सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2021 / 18 दर्ज दिनांक : 01.04.2021

1. गोविन्दसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. आनन्दसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. कृष्णा पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गोरधनसिंह पुत्र रमन पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. नरपतसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. पूजा पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. पूनम पुत्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. प्रीतमसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. मुकेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. मदन कंवर पत्नि अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. रतनकंवर पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. रतनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. रमेशसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. रविन्द्र पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
17. रविन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. लाडकंवर पत्नि रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. संगीता पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. सुधा पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. सुनिता पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. अनिलसिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. इन्द्रसिंह पुत्र सूरजमालसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. उषाकंवर पत्नि छत्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. गुलाबकंवर पत्नि दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र छत्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र छत्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. मनोहर पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested

8. विरेन्द्रसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. सुमनकंवर पुत्री दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. सेमिनराव पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. सीमासिंह पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी दूधवाखारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री भागीरथ सिद्ध
अप्रार्थीगणः—पैरोकार राज

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 939/9.2951 हैक्ट. मौजा दूधवाखारा तहसील चूरू व जिला चूरू में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 938/5.0206 हैक्ट. मौजा दूधवाखारा तह. व जिला चूरू से होते प्रार्थीगण के खेत तक विद्यमान रास्ता मौके पर चालू है। इस वादगत कृषि भूमि में दक्षिण पश्चिम के पासेपर प्रार्थीगण के पक्के रिहायशी मकान बने हुए हैं। जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित रिहायश भी करते हैं और कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है।
2. प्रार्थीगण के इस खातेदारी के खेत खसरा संख्या 939/9.2951 हैक्ट. मौजा दूधवाखारा के पश्चिमी की तरफ सींवजोड़ खेत खसरा संख्या 938/5.0206 हैक्ट. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 एवं सुवालकंवर पत्नि सूरजमालसिंह राजपूत का संयुक्त खातेदारी का हैं। खातेदार सुवालकंवर का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए उनके स्थान उनके कानूनी उत्तराधिकारी एवं जायज वारिस उनके पुत्र इन्द्रसिंह को बतौर अप्रार्थीगण सं. 2 इस प्रार्थना—पत्र के पक्षकार बनाया गया है। जिससे प्रार्थना—पत्र में कोई कानूनी खामी नहीं रहे। अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 का इस भूमि में अलग—अलग हिस्सा खातेदारी में अंकित है।
3. प्रार्थीगण अपने इस खातेदारी के खेत खसरा संख्या 939 में आवागमन करने हेतु हमेशा से गांव आबादी दूधवाखारा से सड़क आम जो दूधवाखारा से गांव सिरसली को चलती हैं इससे होकर आगे खेत खसरा संख्या 938 जो अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 का संयुक्त खातेदारी का है उसमें सड़क से फटकर पूर्व की तरफ पगडन्डी (रास्ता) उनके खेत में चलकर फिर उत्तर दिशा में घूमकर [illegible] खसरा संख्या 939 में प्रवेश कर अपनी रिहायशी ढाणियों में [illegible] पगडन्डी (रास्ता) सदामत का हैं जो वर्तमान में 14 फुट चौड़ा आवागमन हेतु मौके पर मौजूद हैं इस पगडन्डी (रास्ता) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested

अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 939 में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है और न मौजूद है वास्तविक मौका स्थिति को समझने के लिए एक नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' इस प्रार्थना–पत्र के साथ में पेश हैं जो इस प्रार्थना–पत्र का भाग हैं जिसमें लाल रंग से प्रार्थीगण के पक्के रिहायशी मकान दिखाये गये हैं, हरे रंग से प्रार्थीगण के खेत की भूमि दिखाई गई हैं तथा भूरा रंग से मौके पर पगडन्डी दिखाई गई है।

4. प्रार्थीगण अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 939 रोही गांव दूधवाखारा में हमेशा से प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में भूरे रंग से दिखाई पगडन्डी (रास्ता) से ही आवागमन करते आये हैं। प्रार्थीगण का खेत में इस पगडन्डी के अलावा ओर कोई रास्ता एवं पगडन्डी आवागमन की नहीं रही हैं इसलिए प्रार्थीगण के खेत में आवागमन की इस पगडन्डी (रास्ता) की प्रार्थीगण को अत्यन्तिक आवश्यकता हैं प्रार्थीगण हमेशा से अपने परिवार सहित पशुधन, ऊंट गाडे ट्रेक्टर आदि इसी पगडन्डी से आवागमन करते आये हैं और वर्तमान में भी आवागमन हो रहा है।

5. राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2012 में यह प्राविधान कर दिया गया है कि अपनी जोत के लिए आवागमन के रूप में काम में आने वाली पगडन्डी को काश्तकार अपनी आवश्यकता के लिए निर्धारित दर से भूमि का प्रिमियम अदा कर इस पगडन्डी को रास्ते के रूप में नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा सकते हैं। प्रार्थीगण ने अपने द्वारा काम में ली जाने वाली पगडन्डी को भूमि की कीमत अदा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अप्रार्थीगणको कहा परन्तु अप्रार्थीगण इसके लिए सहमत नहीं हैं। और इन्कार कर दिया है कि इसलिए यही इस प्रार्थना–पत्र का कारण हैं और प्रार्थना–पत्र का आधार प्रार्थीगण के खेत में आवागमन की एक मात्र पगडन्डी होने से हर समय हासिल है।

6. प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनक्षर "क" जिसमें प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 938 में भूरे रंग से दिखाये स्थान से पूर्व 580 फुट एवं उत्तर से दक्षिण 185 फुट एवं मौके पर आवश्कता अनुसार 14 फुट चौडाई के रकबे का अंकन अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 938 रोही दुधवाखारा में कम किया जाकर उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया जावे एवं इस भूमि का मुनासिब दर से प्रिमियम प्रार्थीगण को भुगतान करवाया जावे।

7. वादगत भू–भाग एवं पक्षकारान का निवास स्थान अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में हैं इसलिए इस न्यायालय को इस प्रार्थना–पत्र के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है जो निर्धारित शुदा न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 939 / 9.2951 हैक्ट. रोही गांव दुधवाखारा तहसील चूरू में आवागमन की पगडन्डी (रास्ता) हमेशा अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 938 / 5.0206 हैक्ट. में से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनक्षर 'क' के भूरे रंग से दिख[illegible] रही है इसलिए कानून के अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत [illegible] के खेत में आवागमन की पगडन्डी पश्चिम से पूर्व 580 फुट एवं उत्तर से [illegible] 185 [illegible] आवश्यकता के अनुसार 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested

फुट चौड़ाई सहित रकबे को कम किया जाकर इस रकबे का अंकन गैर मुमकिन पगडन्डी के रूप में किया जाकर इस रकबा का डी.एल.सी. की दर से राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करवाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी सं. 1 ता 3, 5 ता 6 व 8 ता 11 पर विधिवत तामील होने के बावजुद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई आप्रार्थी सं. 04 के फौत होना अंकित गया एवं अप्रार्थी संख्या 07 के नाम से कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण नाम के डिलिट शब्द अंकित किया गया व व तहसीलदार चूरू से जांच रिपार्ट मंगवाई गई जो निम्नानुसार है–

1. मौके पर वादी गोविन्दसिंह मनोहरसिंह उपस्थित हुए। बाद में प्रतिवादी खसरा संख्या 938 के खातेदार अनुपस्थित थे। उपस्थित व्यक्तियों के अनुसार उक्त खातेदार ग्राम दुधवाखारा में निवास नहीं करते है परिवार सहित बीकानेर में करना बताया। सम्पर्क नंबर उपलब्ध नहीं होने के कारण मोबाईल से सम्पर्क नहीं किया गया।
2. ग्राम की आबादी से पूर्वी दिशा की तरफ खसरा संख्या 938 से सदामत का रास्ता गुजरता है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है इसी रास्ते से फंटकर खसरा संख्या 938 के पूर्वी सींव के चिपते रास्ते हेतु वाद दायर किया गया है जो वर्तमान में मौके पर रास्ता के रूप में चालू नहीं है व न ही रास्ते के निशानात है।
3. वादी के खसरा संख्या 939 के पश्चिमी उत्तरी कोने से चिपता रास्ता गुजरता है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम दुधवाखारा में रास्ते के रूप में दर्ज है। खसरा संख्या 939 के सह खातेदारों ने आपसी सहमति से मौके पर हिस्सा पांति कर रखा है जिसके कारण दक्षिणी हिस्से के खातेदारों के लिए खसरा संख्या 938 में से रास्ता सुविधाजनक है।
4. खसरा संख्या 939 के नजदीक आम कटानी रास्ता मौके पर चालू है जो आवागमन के काम लिया जा रहा है। नवीन रास्ता जो आबादी से सदामत के रास्ते से फंटकर खसरा संख्या 938 में से चाहा गया है की दूरी खसरा संख्या 939 से 820 फुट की लम्बाई का है।
5. राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 939 के खातेदार संयुक्त सहखातेदार है आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है खसरा संख्या 939 के चिपता खसरा संख्या 1688 / 1550 कटानी रास्ता मौजूद है जो खसरे से निकटतम दूरी पर है नवीन रास्ते पर सदामती रास्ता व खसरा संख्या 938 के पूर्वी सींव में किसी प्रकार का निर्माण या अन्य अवरोधक नहीं है।
6. मौके पर खसरा संख्या 939 के चिपता कटानी रास्ता है परन्तु उपस्थित वादीगण के मुताबिक उक्त रास्ता खसरा संख्या 939 के दक्षिण में हिस्सेदारों के लिए सुविधाजनक नहीं है। नवीन रास्ता जो ग्राम की आबादी से प्रदान किया जावे तो सुविधाजनक होगा, जिसके लिए एवज में भूमि [illegible] के निर्णयानुसार राशिकी क्षतिपूर्ति के लिए तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested

नवीन रास्ते की लम्बाई सदामत के रास्ते सहित आबादी से 820 फीट है इसमें किसी प्रकार का निर्माण, बोरवेल इत्यादि नहीं है। बाद के मुताबिक नवीन रास्ते हेतु 14 फीट की चौड़ाई है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात मय मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि खेत ख. नं. 938 में भूरे रंग से दिखाये स्थान पर पश्चिम से पूर्व 580 फुट एवं उत्तर से दखिण 185 फुट एवं मौके पर आवश्यकता अनुसार 14 फुट चौड़ाई के रकबे का अंकन अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख.नं. 938 रोही दूधवाखारा में कम किया जाकर उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने की मांग की है। तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक चूरू द्वारा मय पटवारी हल्का दूधवाखारा मौके पर जाकर तैयार कर भिजवाई गई है, जिस पर पटवारी हल्का दूधवाखारा, भू–अ.नि. दूधवाखारा के हस्ताक्षर अंकित हैं।

मौका रिपोर्ट में अंकित आया है कि "खसरा नम्बर 939 में आवागमन मौके पर कटानी रास्ता खसरा नं. 1691 / 937 चालू है उक्त खाता भूमि के अतिरिक्त अन्य खातेदारों की जोत में से रास्ते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है प्रार्थी के द्वारा रास्ता सुविधा के लिए चाहा गया है उक्त खाता भूमि के अतिरिक्त अन्य खातेदारों की जोत में से रास्ते की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये खसरा नं. 938 में से आगे सदामती रास्ता चालू है मौके पर लगभग 25 फीट की चौड़ाई है रास्ते के दोनों तरफ तारबन्दी की हुई है आगे लगभग 6 से 7 कि.मी. तक सदामती रास्ता चालू है।

मूल प्रार्थना पत्र की बहस में वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 939 / 9.2951 हैक्ट. रोही गांव दुधवाखारा तहसील चूरू में आवागमन की पगडन्डी (रास्ता) हमेशा अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 938 / 5.0206 हैक्ट. में से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनक्षर 'क' के भूरे रंग से दिखाये अनुसार रही है इसलिए कानून के अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 938 में प्रार्थीगण के खेत में आवागमन की पगडन्डी पश्चिम से पूर्व 580 फुट एवं उत्तर से दक्षिण 185 फुट तथा मौके पर आवश्यकता के अनुसार 14 फुट चौड़ाई सहित रकबे को कम किया जाकर इस रकबे का अंकन गैर मुमकिन पगडन्डी के रूप में किया जावे।

उपरोक्तानुसार पत्रावली मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस के तथ्यों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जरिये पूर्व में जारी रास्ते को कटानी रास्ता कायम कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने की मांग की है जबकि धारा 251 क में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई ऐसा अभिधारी या अभिधारियों का [illegible] उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारों की जोत में से होकर एक नया [illegible] चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करवाना [illegible] आवेदन कर सकता है, जिसके लिए आवश्यक शर्तें हैं कि (1) [illegible] होनी चाहिए, न कि केवल सुविधा के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested

एवं (2) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होना चाहिए। पूर्व में सदामत से चले आ रहे रास्ता को कटानी घोषित करवाने की कार्यवाही नियमानुसार धारा 251 ए के तहत नहीं की जा सकती। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन करने हेतु कटानी रास्ता पहले से मौजूद है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण वर्तमान में ख.नं. 1688 / 1550 गै.मु.रास्ता पहले से ही चालू रास्ते से आवागमन कर रहे है प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक ना होकर केवल सुविधा के लिए रास्ता चाहिए जो कि धारा 251 ए के तहत सुविधा के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी को उक्त चाहे गये रास्ते की ना तो आत्यान्तिक आवश्यकता है, तथा ना ही विकल्प का अभाव है, उसे केवल सुविधा के लिए रास्ता चाहिए जो कि धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों का भी अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना–पत्र कवर नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों में कवर नहीं होने एवं पहले से कटानी रास्ता होने के कारण से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:07 IST
Reason: SelfAttested